उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800

पत्रांक सं0 15721/19 दिनांक 27/3/19

<u>महत्वपूर्ण / स्पीड पोस्ट</u>

सेवा में,

निदेशक,
राज नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल कालेज,
जंगल अहमद अली शाह, तुर्रा बाजार,
पिपराईच रोड, गोरखपुर।

विषय–राज स्कूल ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल कालेज, दुर्गाबाड़ी, गोरखपुर की मान्यता समाप्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–100/71–4–2019 दिनॉक 22 मार्च, 2019 के अन्तर्गत आपके संस्थान के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:–

1. संस्था को शासनादेश संख्या–3239/71–3–06–एन–8/07 दिनॉक 28.09.2007 द्वारा जी0एन0एम0 (डिप्लोमा) प्रशिक्षण कोर्स तथा शासनादेश संख्या 4269/71–3–09–एन–93/09 दिनॉक 22.10.2009 द्वारा हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण कोर्स हेतु अनिवार्यता प्रमाण पत्र की मान्यता शैक्षणिक सत्र् 2019–20 से समाप्त कर दी जाय। मान्यता समाप्ति के आदेश को उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा व्यापक रूप से प्रकाशित किया जाये ताकि कोई छात्र गलती से संस्था में नामांकन न कराये। संस्था में शैक्षणिक सत्र् 2019–20 से उक्त पाठ्यक्रम में नामांकन पर रोक लगा दी जाय।
2. वर्तमान में अध्ययनरत छात्रों का पाठ्यक्रम पूर्ण कराने के निर्देश संस्था को दिये जायें ताकि अध्ययनरत छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे। जब तक अध्ययनरत छात्रों का पाठ्यक्रम पूर्ण न हो तब तक संस्था के सिक्योरिटी डिपॉजिट (यदि कोई हो) की निकासी पर रोक लगायी जाय।

उ0प्र0 शासन के निर्णय के अनुपालन में आपके प्रशिक्षण केन्द्र के जी0एन0एम0 एवं ए0एन0एम0 प्रशिक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 4787/08 दिनॉक 24.06.2008 एवं पत्र संख्या–4711/11 दिनॉक 18.07.2011 द्वारा प्रदत्त की गयी मान्यता/सम्बद्धता शैक्षणिक सत्र् 2019–20 से समाप्त की जाती है।

........2

कृपया उपरोक्तानुसार नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण सत्र् 2019–20 में प्रवेश प्रतिबन्धित किया जाता है। यदि आपके संस्थान द्वारा किसी प्रशिक्षणार्थी का प्रवेश नर्सिंग प्रशिक्षण (जी0एन0एम0 एवं ए0एन0एम0) में उ0प्र0 शासन के शासनादेश के विरूद्व लिया जाता है, तो उन छात्रों/छात्राओं की परीक्षायें इस कार्यालय द्वारा किसी भी स्थिति में सम्पन्न नहीं करायी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं तथा आपका होगा।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि आपके संस्थान में पूर्व सत्रों के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का प्रशिक्षण निर्धारित नियमों/मानकों के अनुसार पूर्ण कराते हुए उनकी परीक्षायें निर्धारित समय पर सम्पन्न करायी जायेगी।

कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी

पत्र संख्या– 15721(1-6)/19 दिनॉक– 27/3/19

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, आठवॉ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लाट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज–1, नई दिल्ली–110020
2. सचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4, लखनऊ के शासनादेश सं0–100/71–4–2019 दिनॉक 22 मार्च, 2019 के क्रम में।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0, लखनऊ।
4. जिला अधिकारी, गोरखपुर।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर।

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी